

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 19/2022

रामावतार पुत्र हरलाल जाति गुर्जर, निवासी ढाणी मोलाला तन प्रतापपुरा, तहसील खेतड़ी,
जिला झुन्झुनू।

— अपीलान्त—

—बनाम—

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोजेन्ट—

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम रामावतार अंधारा 91 एल.आर.एक्ट 1956
मुकदमा नम्बर 21/2022 निर्णय दिनांक 16.03.2022

उपस्थिति :-

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता -----अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, अधिवक्ता ----- रेस्पोजेन्ट की ओर से।

— निर्णय —

दिनांक 28.06.2022

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 16.03.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामावतार मुकदमा नम्बर 21/2022 अं. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं — कि अदालत मातहत नायब तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 1452/1264 रकबा 213.61 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बरकड़ा सरहद मौजा अशोक नगर तहसील खेतड़ी में से 625 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब नोटिस में दर्ज तथ्यों को अदालत मातहत ने जानबुझकर नजरअंदाज किया है। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को अदालत मातहत ने नजरअंदाज किया है। विवादित भूमि पर अपीलान्त अतिक्रमी

जा. 7
अति. जिला कलक्टर
झुन्झुनू



नहीं है। उक्त भूमि पर अपीलान्त का पुराना कब्जा है, और अपीलान्त का कब्जा नियमन योग्य है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को सही मानने में गलती की है। जमीन जैर बहस की वस्तु स्थिति पटवारी हल्का ने स्पष्ट नहीं की है। अपीलान्त के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई आबादी भूमि नहीं है। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब नोटिस में दर्ज तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर आलौच्य निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि कि अदालत मातहत नायब तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 1452/1264 रकबा 213.61 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बरकड़ा सरहद मौजा अशोक नगर तहसील खेतड़ी में से 625 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब नोटिस में दर्ज तथ्यों को अदालत मातहत ने जानबुझकर नजरअंदाज किया है। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को अदालत मातहत ने नजरअंदाज किया है। विवादित भूमि पर अपीलान्त अतिक्रमी नहीं है। उक्त भूमि पर अपीलान्त का पुराना कब्जा है, और अपीलान्त का कब्जा नियमन योग्य है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को सही मानने में गलती की है। जमीन जैर बहस की वस्तु स्थिति पटवारी हल्का ने स्पष्ट नहीं की है। अपीलान्त के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई आबादी भूमि नहीं है। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब नोटिस में दर्ज तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर आलौच्य निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

अपील
अति. जिला कलक्टर
झुंझुनू

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट ने ग्राम अशोक नगर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1452/1264 कुल रकबा 213.61 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बरकड़ा में 625 वर्गमीटर भूमि में पक्का मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलान्ट को सुना जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर सुना गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तथा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे विवादित भूमि पर उनका कब्जा वैध साबित होता हो। अतिक्रमित भूमि राजकीय है। है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2022 उनवानी सरकार बनाम रामावतार मु0नं0 21/2022 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू